रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2018/चैत्र 5, 1940
No. 116] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2018/CHAITRA 5, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

फा.सं.पीएनजीआरबी /एम (सी)/48:– पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभण**

(1) इन विनियमों को "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) संशोधन विनियम, 2018" कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) विनियम,2016 में, -

(क) विनियम 1 में, उप-विनियम (2) में वर्ष "2018" के लिए वर्ष "2020" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III /4/असा./489/17]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम फा.सं.: पीएनजीआरबी /एम (सी)/48, दिनांक 29.04.2016 के तहत अधिसूचित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, 23rd March, 2018

F.No.PNGRB/M(C)/48:- In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulations, 2016, in regulation 1, in sub-regulation (2), for the year "2018" the year "2020" shall be substituted.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III /4/Extn./489/17]

Foot Note: Principal regulations were notified vide F.No. PNGRB/M(C)/48, dated 29th April, 2016.

IndiaCode

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.02 18:59:07 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.